पत्रांक– ऐ०ऐ०-2-विविध-25/2024-25 (भाग-IV)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, मोतिहारी/रोहतास/मुंगेर/मुजफ्फरपुर/
बेगूसराय/पूर्णियाँ/पाटलीपुत्रा (पटना)
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः–.........

विषयः– **WP(C) No. 538/2023 (Rajeeb Kalita Vs. Union of India) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– श्रमायुक्त, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–4174 दिनांक–17.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि WP(C) No. 538/2023 (Rajeeb Kalita Vs. Union of India) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के के आलोक में सभी श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में पुरूषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए Toilet Complex की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।

अतः सभी कार्यपालक अभियंता से अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मूल भूत सुविधा प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– पटना/दिनांकः–
प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुविद/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0ः–यथोक्त।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 7454 (अ) अनु पटना/दिनांकः– 10/08/26
प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0ः–यथोक्त।

10.8.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

संचिका संख्या–5/आर०एल०–40–83/2021 श्र०सं०– 4174

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

सचिव,
भवन निर्माण विभाग, पटना, बिहार

पटना, दिनांक– 17/7/26

विषय :– WP(C)No-538/2023 (Rajeeb Kalita Vs. Union of India) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :– विधि विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–7700, दिनांक–24.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि WP(C)No-538/2023 (Rajeeb Kalita Vs. Union of India) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से संबंधित बिन्दुओं पर अनुपालन हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

सभी श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण से प्राप्त प्रतिवेदन एवं WP(C)No-538/2023 (Rajeeb Kalita Vs. Union of India) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में Gap है।

अतः श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के Gap की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुसार मूलभूत सुविधा प्रदान करने हेतु भवनों में निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/7/26

(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

श्री अजीत

22/07/2026

94 Anand

6793313
21.7.26

क्र०	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन	माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निदेश	GAP
1	औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर	औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–कार्यालय संयुक्त भवन के द्वितीय तल मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, जिसमें एक महिला एवं दो पुरुष शौचालय है।	सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।	दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं अनुपलब्ध
2	श्रम न्यायालय, डालमियानगर	श्रम न्यायालय डालनियानगर, संयुक्त श्रम भवन डालमियानगर के द्वितीय मंजिल पर संचालित है। इस न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी एवं कर्मचारी के कमरे में उपयोग हेतु अलग–अलग वाशरूम है तथा इसी तल पर अलग से पुरुष वाशरूम में दो शौचालय एवं महिला वाशरूम में एक शौचालय है।	सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।	दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं अनुपलब्ध
3	श्रम न्यायालय, मुंगेर	सरकारी भवन के न्यायालय–सह–कार्यालय, मुंगेर में एक शौचालय है, जिसमें एक पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा उपयोग किया जाता है और एक कार्यालय कर्मी के लिए है। महिला एवं अन्य के लिए व्यवस्था नहीं है।	सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।	पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं अनुपलब्ध
4	श्रम न्यायालय, भागलपुर (राधा रानी सिंह रोड, आदमपुर, भागलपुर)	न्यायालय–सह–कार्यालय में दो शौचालय रूम है, जिसमें एक पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा उपयोग किया जाता है और एक कार्यालय के लिए है। महिला एवं अन्य के लिए व्यवस्था नहीं है (पत्रांक–64 दिनांक–07.04.2026 द्वारा प्राप्त।)।	सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।	पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं अनुपलब्ध
5	श्रम न्यायालय, मोतिहारी	न्यायालय–सह–कार्यालय, मोतिहारी में एक सार्वजनिक बाथरूम–सह–शौचालय सभी के उपयोग हेतु स्थित है, जो जर्जर स्थिति में है।	सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।	पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं अनुपलब्ध
6	श्रम न्यायालय, बेगूसराय	न्यायालय–सह–कार्यालय, बेगूसराय में एक महिला एवं दो पुरुष शौचालय का उपयोग कार्यालय कर्मचारी एवं सभी आगंतुक करते है।	सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।	दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं अनुपलब्ध
7	श्रम न्यायालय, पटना	न्यायालय में पुरूष एवं महिला हेतु अलग–अलग सार्वजनिक शौचालय आवंटित है। श्रम न्यायालय, पटना वर्त्तमान में नियोजन भवन, बेली रोड, पटना के षष्टम तल पर ब्लॉक–'डी' में अवस्थित है।	सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।	दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं अनुपलब्ध
8	श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ	श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ समाहरणालय परिसर, नियर उप निदेशक, चकबंदी कार्यालय के कैम्पस में संचालित है, जो जर्जर अवस्था में है, इसमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है।	सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।	पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं अनुपलब्ध
9	औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना	औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना पटना सरकार द्वारा दिये गये आवंटित भवन नियोजन भवन, बेली रोड, पटना में स्थित है, जिसमें दो शौचालय जो बाथरूम सहित है।	सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।	पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुविधाएं अनुपलब्ध